उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय, लखनऊ।

चतुर्थ/पंचम तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग, लखनऊ–226001: **ईमेल** fshqup@gmail.com

पत्रसंख्या:एफएस–1076–2017(निर्देश) **दिनांक**:लखनऊ अप्रैल, 28,2017

सेवा में,

1. **श्री अमन शर्मा,**
   उप निदेशक, तकनीकी,
   मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र
   फायर सर्विस, उ0प्र0।

2. **श्री अजय कुमार गुप्ता,**
   उप निदेशक, तकनीकी,
   बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र
   फायर सर्विस, उ0प्र0।

3. **श्री योगेश बाबू द्विवेदी,**
   उप निदेशक, तकनीकी,
   वाराणसी/गोरखपुर परिक्षेत्र
   फायर सर्विस, उ0प्र0।

4. **समस्त संबंधित मुख्य/अग्निशमन अधिकारी,**
   उ0प्र0।

विषय :– **परिक्षेत्रों के जनपदों में अग्निशमन सेवा के अधिकारियों द्वारा निर्गत की जा रही अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों/नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव का भौतिक निरीक्षण एवं कार्य क्षमता का सत्यापन कराये जाने के संबंध में।**

कृपया फायर सर्विस मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ0एस0–1076/2012, दिनांक 05.10.2012 के अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप निदेशक, तकनीकी, फायर सर्विस एवं संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस को प्रोविजनल/अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन के लिये मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश, उक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रमुख/सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में अधिकृत किया गया है।

2. प्रायः यह देखा जा रहा है एवं अन्य श्रोतों से ज्ञात हो रहा है कि जनपदों द्वारा निर्गत अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी द्वारा विभिन्न भवनों का भौतिक निरीक्षण एवं प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित स्ट्रक्चरल एवं नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुसार आख्या उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

3. **उपरोक्त प्रकिया में पारदर्शिता बढ़ाने एवं जन–धन सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही करने एवं करना सुनिश्चित करें :–**

(क) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है, जिसकी आख्या के आधार पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

1. संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन का अग्निशमन अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी का लिंक अग्निशमन अधिकारी
3. संबंधित भवन का मालिक या उनके द्वारा अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि

(ख) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा निर्गत की जाने वाली अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है, जिसकी आख्या के आधार पर संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

1. संबंधित जनपद का मुख्य अग्निशमन अधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन करने वाला अग्निशमन अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन का अग्निशमन अधिकारी
3. संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी का लिंक अग्निशमन अधिकारी
4. संबंधित भवन का मालिक या उनके द्वारा अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि

4. कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में कार्यवाही करने/कराते हुए प्रकिया में पारदर्शिता बढ़ाने एवं जन–धन सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना सुनिश्चित करें।

5. उपरोक्त समस्त उप निदेशक, तकनीकी, फायर सर्विस अपने परिक्षेत्र के समस्त जनपदों के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को अपने स्तर से इस निर्देश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस, उ0प्र0।

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।
3. निदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।
4. संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।